बिहार सरकार

उद्योग विभाग(तकनीकी विकास)

आ दे श

विषय : बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया में संशोधन।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 357 दिनांक 17.03.2017 द्वारा स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण एवं नवाचार को प्रोत्साहित किये जाने हेतु बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 अधिसूचित किया गया है। इस नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना ज्ञापांक 2049 दिनांक 03.12.2018 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। बिहार विकास मिशन द्वारा बिहार स्टार्ट–अप नीति के उपलब्धियों की समीक्षा के कम में बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 के कार्यान्वयन को और सुगम बनाने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रारंभिक समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न इन्क्यूवेटर्स द्वारा इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों के आलोक में अधिसूचना संख्या 2049 दिनांक 03.12.2018 में तत्काल के प्रभाव से निम्न संशोधन किये जाते हैं :–

1. कंडिका–4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

" बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से प्रमाणीकृत स्टार्टअप को सीड फंड दस वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अधिकतम रु0 10.00(दस) लाख दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा। किस्त की राशि संबंधित इन्क्यूवेटर द्वारा निर्धारित की जायेगी।"

2. कंडिका–5 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"नीति के अध्याय–6 में निहित प्रावधान के आलोक में स्टार्ट–अप द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित कागजात यथा–निरस्त चेक, कंपनी निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, स्व–अभिप्रमाणित एकरारनामा इत्यादि के आधार पर निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा सीड फंड (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) स्वीकृत किया जायेगा। प्रभारी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा इससे संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा उसकी प्रति लाभार्थी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा।"

3. कंडिका–6 के "(द्वितीय एवं तृतीय किस्त)" को "(द्वितीय किस्त)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. यह आदेश तत्काल के प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 243 /पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500(पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 243 /पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/माननीय मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र/सभी महाप्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 243 /पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 243 /पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 243 /पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.01.2019

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

(3)